



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092024-257343
CG-DL-E-21092024-257343

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946

No. 541]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 583(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 26, धारा 27 की उप-धारा (1), धारा 28, धारा 29, धारा 31 की उप-धारा (2), धारा 39 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 40 की उप-धारा (6) और धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में, नियम 9ख के उप-नियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा:—

“परंतु यह कि इस उप-नियम के अधीन आने वाली कोई उत्पादक कंपनी, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पांच वर्ष की अवधि के भीतर इस उप-नियम का पालन करेगी।”।

[फा. सं. 01/21/2013-सीएल-V]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 251(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. 802(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2023 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2024

G.S.R. 583(E).—In exercise of the powers conferred by section 26, sub-section (1) of section 27, section 28, section 29, sub-section (2) of section 31, sub-sections (3) and (4) of section 39, sub-section (6) of section 40 and section 42 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, in sub-rule (2) of rule 9B, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that a producer company covered under this sub-rule shall, within a period of five years of closure of such financial year, comply with the provision of this sub-rule.”.

[F. NO. 1/21/2013-CL-V]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 251(E), dated the 31st March, 2014 and last amended *vide* notification G.S.R. 802(E), dated the 27th October, 2023.